संख्या-2/2016/वे0आ0-2-वी0आई0पी0-196/दस-2015

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 05 जनवरी, 2016**

विषय- राजकीय विभागों में मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों की संविदा धनराशि निर्धारण एवं अन्य सुविधाओं की अनुमन्यता सम्बन्धी सामान्य निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है, कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-562/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 30 अगस्त, 2013 द्वारा राजकीय विभागों के मानदेय/नियत वेतन/संविदा पर नियुक्त कार्मिकों की संविदा धनराशि के पुनरीक्षण/निर्धारण तथा अन्य सुविधाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में सामान्य निर्णय लिया गया है। उक्त सामान्य निर्णय को लागू किये जाने हेतु अपेक्षित शासनादेश सम्बन्धित विभागों को वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जाना अपेक्षित है। यह संज्ञान में लाया गया है कि उक्त निर्णयों का कार्यान्वयन किये जाने हेतु विभागीय शासनादेश कतिपय विभागों द्वारा अभी निर्गत नहीं कराये जा सके है, जिसके फलस्वरूप विभागों में तैनात उक्त श्रेणी के कार्मिकों को शासन के उक्त निर्णय का लाभ प्राप्त होने में विलम्ब हो रहा है।

2- उक्त के सम्बन्ध में आपसे यह पुन: अनुरोध करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है कि शासनादेश दिनांक 30 अगस्त, 2013 द्वारा संसूचित निर्णय के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित विभागीय शासनादेश यदि अभी निर्गत नहीं हो पायें हैं, तो उपर्युक्त संसूचित निर्णय को लागू किये जाने हेतु विभागीय शासनादेश प्राथमिकता के आधार पर निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-2/2016/वे0आ0-2-वी0आई0पी0-196(1)/दस-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in